कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537 — लखनऊः दिनांकः 09/08/2021

-:कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2769-J.B.S. INSTITUTE OF PHARMACY, MALINPUR, BARABANKI.			
क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0- 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और तदुनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

चेयरमैन (मुख्य ट्रस्टी),
जे0बी0एस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी,
ग्राम– मालिनपुर, रासनेहीघाट, बाराबंकी।

पत्रांकः–प्राशिप/परिषद/2017/ 6068 लखनऊःदिनांक– 02-08-2017

विषयः– संस्थान को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या /jbs/LKO/12 दिनांक 18–7–2017 को संदर्भित करने का कष्ट करें। उपरोक्त के कम में अवगत कराया जाना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल सिविल अपील संख्या 9408/2012 में पारित आदेश दिनांक 13–12–2012 के अनुपालन में किसी शैक्षिक सत्र हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने अथवा न करने की अंतिम तिथि उस वर्ष की माह मई की 15 तारीख है। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर परिषद विचार करता है एवं इस हेतु कतिपय औपचारिकताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन पत्र निर्गत होने के पूर्व परिषद द्वारा पूर्ण कर ली जाती हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक होता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अनुमोदन प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि उस वर्ष की 10 अप्रैल/30 अप्रैल निर्धारित की गयी है।

आपको उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराया जाना है कि इस संबंध में आप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार आवेदन पत्र अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को प्रस्तुत करायें एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को प्रस्तुत पत्र की हार्डकॉपी के साथ प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर निरीक्षण शुल्क सहित परिषद कार्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार तत्समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन प्रदान होने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आपके संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने अथवा न करने पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत निर्णय लिया जायेगा।

यदि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, और फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया जाता है, एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया यथा निरीक्षण आदि पूर्ण करने पर यदि संस्थान को उपयुक्त पाया गया तो ऐसी स्थिति में संस्थान को परिषद द्वारा सत्र